बदलेंगे खुलासा व सूचीबद्धता नियम

नियामक सेबी की एक समिति ने इन नियमों को आसान बनाने के लिए 200 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी

खुशबू तिवारी
मुंबई, 27 जून

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्ध कंपनियों और सार्वजनिक बाजारों तक पहुंच बनाने की इच्छुक कंपनियों के लिए खुलासों और सूचीबद्धता मानक सरल बनाने के लिए जल्द ही करीब 50 बदलावों पर विचार करेगा। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती की अध्यक्षता वाली 21 सदस्यीय समिति ने 200 पृष्ठ की रिपोर्ट में अपने सुझाव सौंपे हैं। रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) मानकों, प्रवर्तक पुनः वर्गीकरण और लॉक-इन जरूरतों, निदेशकों की नियुक्ति, आईपीओ के लिए पात्रता नियमों, आईपीओ-पूर्व लेनदेन के खुलासे, राइट निर्गम आदि से जुड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं।

विशेषज्ञ समूह ने लंबी प्रवर्तक लॉक-इन अवधि का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए कर्ज चुकाने में किया जाए। सेबी के 215 पृष्ठ के परामर्श पत्र में कहा गया है, 'उन मामलों में ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर अतिरिक्त खुलासे करने होंगे जिनमें निर्गम से मिली रकम का उपयोग कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए किया जाता है।' मुकदमेबाजी या विवाद के खुलासे के लिए समय-सीमा मौजूदा 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नियामक ने प्री-आईपीओ लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी भी मांगी है।

परामर्श पत्र में कहा गया है, 'सूचीबद्धता से पहले दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे या लाभ-विभाजन समझौते को सूचीबद्धता के बाद आयोजित पहली आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।'

आरपीटी पर मानकों में बदलाव के लिए सेबी ने परिभाषा, मंजूरियों और छमाही खुलासों में कई रियायतों का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और शुल्क को खुलासे से छूट दी जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों के बीच या किसी पीएसई और राज्य या केंद्र सरकार के बीच लेनदेन को आरपीटी के तहत मंजूरी लेने की अनिवार्यता से अलग रखा जा सकता है।

इसके अलावा, नियामक बकाया स्टॉक स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (एसएआर) वाली कंपनियों को आईपीओ दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, यह केवल उन फर्मों पर लागू होगा जहां ऐसे राइट्स केवल कर्मचारियों को दिए गए हैं। एसएआर कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का कम्पनसेशन है जो कंपनी के शेयर मूल्य के प्रदर्शन से जुड़ा होता है।

इसी तरह, आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए प्री-इश्यू एडवरटाइजमेंट और प्राइस बैंड एडवरटाइजमेंट को एक ही विज्ञापन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड लिंक के साथ कुछ जानकारी के खुलासे की अनुमति भी दी गई है।

सेबी शीर्ष 2,000 कंपनियों को कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने और जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस समय यह केवल शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है।

ज्यादातर प्रस्तावों का उद्देश्य सेबी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) और इश्यू ऑफ कैपिटल ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (आईसीडीआर) नियमों में अंतर दूर करना है। बाजार नियामक ने प्रस्तावों पर 17 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।

समिति की सिफारिश

- रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) मानकों, प्रवर्तक पुनः वर्गीकरण और लॉक-इन जरूरतों, निदेशकों की नियुक्ति, आईपीओ के लिए पात्रता नियमों, आईपीओ-पूर्व लेनदेन के खुलासे, राइट निर्गम आदि से जुड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे गए हैं
- विशेषज्ञ समूह ने लंबी प्रवर्तक लॉक-इन अवधि का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए कर्ज चुकाने में किया जाए
- आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए प्री-इश्यू एडवरटाइजमेंट और प्राइस बैंड एडवरटाइजमेंट को एक ही विज्ञापन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा ने नवकार कॉर्प की हिस्सेदारी खरीदी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 जून

देश में निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक बंदरगाह परिचालक जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बीएसई सूचीबद्ध नवकार कॉरपोरेशन (लॉजिस्टिक्स फर्म) की 70.37 फीसदी हिस्सेदारी 1,012 करोड़ रुपये में अधिग्रहीत की।

दोनों कंपनियों के बयान के मुताबिक, नवकार कॉर्प की बाकी शेयरधारिता के लिए सेबी की अधिग्रहण संहिता के तहत खुली पेशकश लाई जाएगी।

नवकार का शेयर गुरुवार को एक्सचेंजों पर 1.48 फीसदी की बढ़त के साथ 112 रुपये पर बंद हुआ, वहीं जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा का शेयर 2 फीसदी टूटकर 319 रुपये पर बंद हुआ।

नवकार कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का परिचालन सोमाथने, पनवेल में करती है और दो दो सीएफएस का परिचालन अजिवली, पनवेल में होता है।

कंपनी के पास मोरबी, गुजरात में इनलैंड कंटेनर डिपो का स्वामित्व भी है, जो मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का हिस्सा है।

नवकार के पास कैटिगरी-1 व कैटिगरी-2 में कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस भी है।

इन्फोसिस के सीईओ ने सेबी के साथ विवाद सुलझाया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 जून

आईटी दिग्गज इन्फोसिस और उसके मुख्य कार्याधिकारी सलिल पारेख ने 25 लाख रुपये चुकाने के लिए सहमति जताकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ कथित भेदिया कारोबार उल्लंघन से जुड़ा मामला सुलझा लिया है।

यह मामला जुलाई 2020 में इन्फोसिस और अमेरिकी वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक वैनगार्ड के बीच हुई एक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। समझौते के तहत, इन्फोसिस वैनगार्ड को क्लाउड-आधारित रिकॉर्ड कीपिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी।

सेबी के नियमों के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) माना जाना चाहिए था। लेकिन निर्यात किया गया सॉफ्टवेयर ऐसा करने में विफल रहा।

सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग (पीआईटी) रेग्युलेशंस के तहत प्रमुख घोषणाओं और सौदों को यूपीएसआई कहा जाता है, ताकि सूचना के हेरफेर या दुरुपयोग को रोका जा सके। जानकारी के गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग से शेयर की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

बाजार नियामक ने अगस्त 2023 में इन्फोसिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कंपनी ने सहमति से निपटान याचिका दायर की थी, जिसके तहत कथित गलत कार्य करने वाला व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करने या बाजार प्रतिबंध या दोनों के तहत अपराध को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले को सुलझा सकता है।

इन्फोसिस द्वारा सेटलमेंट आवेदन सेबी की उच्च पदस्थ सलाहकार समिति (एचपीएसी) द्वारा मंजूर किया गया था।

अपने आवेदन में आईटी फर्म ने कहा कि कंपनी में यूपीएसआई की पहचान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को मार्गदर्शन और मंजूरी के लिए ऑडिट कमेटी और बोर्ड के समक्ष रखा गया है। इसे लिखित और स्वीकृत नीति में भी परिवर्तित किया गया है।

कंपनी ने अपने आवेदन में कहा, 'किसी भी सौदे की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) की इन्फोसिस के वार्षिक राजस्व के साथ तुलना करने के लिए सालाना औसत राजस्व में विभाजित करने की प्रणाली के बारे में भी कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को सूचित किया गया है।'

इन्फोसिस के शेयर में गुरुवार को करीब 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

मामले का निपटान

- मामला 2020-21 से जुड़ा हुआ था जब आईटी दिग्गज ने वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक वैनगार्ड के साथ भागीदारी की थी
- 25 लाख रुपये चुकाने के लिए सहमति जताकर आईटी दिग्गज ने सुलझा लिया

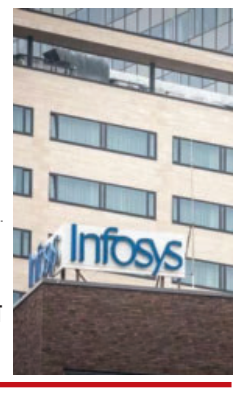

एफपीआई की खरीद व आरआईएल में बढ़त से नए मुकाम पर सूचकांक

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 27 जून

आईटी दिग्गजों, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़त और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी के बीच भारतीय शेयर बाजारों के सूचकांकों ने नई ऊंचाई को छू लिया। सेंसेक्स 569 अंक चढ़कर 79,243 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी ने 176 अंकों की बढ़त के साथ 24,044 पर कारोबार की समाप्ति की। सेंसेक्स ने पहली बार 79,000 और निफ्टी ने 24,000 की सीमा को पहली बार पार किया और दोनों सूचकांक इस माह 10वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे।

बीएसई में सूचीबद्ध फर्मों का कुल बाजार पूंजीकरण 1.4 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एफपीआई गुरुवार को 7,658 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे। गुरुवार की खरीद के साथ एफपीआई कैलेंडर वर्ष 2024 में शुद्ध खरीदार बन गए।

चुनाव नतीजों के बाद माह की शुरुआत में बाजारों में खासी गिरावट आई थी लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई और कैबिनेट के अहम मंत्रालय अपने पास रखे जिससे नीतिगत निरंतरता की उम्मीद बंधी। मजबूत आर्थिक संकेतकों और एफपीआई के शुद्ध खरीदार बनने से सूचकांकों को इस साल सबसे अच्छी मासिक बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद मिली।इस माह अब तक सेंसेक्स में 7.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि निफ्टी में 6.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। महीने की बढ़त को निजी बैंकों में बढ़ोतरी और एफपीआई के सबसे बड़े निवेश से मदद मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 9 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

चार शेयरों इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और अल्ट्राटेक ने गुरुवार की बढ़त में आधे से ज्यादा का योगदान किया। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुई बढ़त की वजह टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जियो मोबाइल सेवा का परिचालन करने वाली कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की।

इंडिया सीमेंट्स के सौदे से उद्योग में होगा और एकीकरण

कृष्ण कांत
मुंबई, 27 जून

अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से तमिलनाडु की इंडिया सीमेंट्स की 23 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण भारतीय सीमेंट बाजार में बढ़ते एकीकरण का एक और उदाहरण है। यह सौदा देसी बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट की हिस्सेदारी 2.3 फीसदी बढ़ा देगा, जो वित्त वर्ष 24 के इंडिया सीमेंट के राजस्व पर आधारित है और ऐसा तब होगा जब यह सौदा औपचारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। इंडिया सीमेंट के शेयर की कीमत इस उम्मीद में 11.5 फीसदी बढ़ गई कि भविष्य में औपचारिक अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान खुली पेशकश देखने को मिलेगी।

इंडिया सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 5,112.2 करोड़ रुपये रही और राजस्व बाजार हिस्सेदारी देसी सीमेंट उद्योग में 2.3 फीसदी रही, जो दक्षिण भारत में रामको सीमेंट के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रामको सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 9,376.4 करोड़ रुपये रही।

इसकी तुलना में अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 70,908 करोड़ रुपये रही, जो देश के सभी सीमेंट निर्माताओं के संयुक्त राजस्व का 31.5 फीसदी बैठता है। इसमें केसोराम इंडस्ट्रीज का सीमेंट डिविजन शामिल नहीं है, जिसे पिछले साल 7,600 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पर अधिग्रहीत किया गया था। केसोराम के सीमेंट डिविजन का राजस्व वित्त वर्ष 24 में 3,740.5 करोड़ रुपये रहा।

अमेरिका का न्याय विभाग और यूरोपीय आयोग उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा का स्तर भांपने के लिए कंपनियों के औसत राजस्व हिस्सेदारी का इस्तेमाल करता है। राजस्व बाजार का इस्तेमाल हर्फिंडाल-हिर्शमैन इंडेक्स (एचएचआई) की गणना के लिए किया जाता है। एचएचआई किसी उद्योग की बाजार में उपस्थिति का आकलन करने का सामान्य तरीका है।

इस महीने के शुरू में अदाणी समूह नियंत्रित अंबुजा सीमेंटड ने हैदराबाद स्थित पन्ना सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया था। इससे देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी बाजारों में अंबुजा सीमेंट की उत्पादन क्षमता और बाजार हिस्सेदारी दोनों में इजाफा हो गया। दिसंबर 2023 में अंबुजा सीमेंट ने संघी इंडस्टड्रीज को 5,180 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। संघी इंडस्ट्रीज का गुजरात में एक सीमेंट संयंत्र है। इन दो अधिग्रहणों के बाद अंबुजा सीमेंट की शुद्ध बिक्री में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित इजाफा हुआ है और राजस्व हिस्सेदारी में 1.5 प्रतिशत बढ़ोतरी (मौजूदा 14.7 प्रतिशत से) हुई है।

पिछले दस वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट की राजस्व में हिस्सेदारी 1200 आधार अंक बढ़कर 33.1 प्रतिशत हो गई है, जो पहले 21.1 प्रतिशत हुआ करती थी। इस दौरान कंपनी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिनानी सीमेंट्स और सेंचुरी टैक्सटाइल ऐंड इंडस्ट्रीज के सीमेंट संयंत्र भी खरीदे हैं। इन अधिग्रहणों के दम पर अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2024 में अंबुजी सीमेंट की समेकित शुद्ध बिक्री का दोगुना से ज्यादा थी। इसमें एसीसी सीमेंट, जो अंबुजा सीमेंट की सहायक इकाई है, के आंकड़े भी शामिल हैं। एक दशक पहले तक अंबुजा सीमेंट और एसीसी का संयुक्त राजस्व अल्ट्राटेक के बराबर था। दो वर्ष पहले तक इन दोनों कंपनियों (अंबुजा सीमेंट और एसीसी) पर लाफार्ज होल्सिम का नियंत्रण था। मगर पिछले एक दशक में इन दोनों कंपनियों बाजार हिस्सेदारी कम हुई है।

अदाणी समूह ने सितंबर 2022 में अंबुजी सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण किया था। समूह कई अधिग्रहणों एवं तेज गति से क्षमता विस्तार के साथ इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधार रहा है।

2.5 साल के निचले स्तर पर सीमेंट की कीमतें

सीमेंट की खुदरा कीमतें (राष्ट्रीय औसत) 2.5 साल के निचले स्तर पर हैं और दक्षिण भारत के बाजारों के मामले में यह चार साल के निचले स्तर पर हैं। इलारा सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। ब्रोकरेज फर्म ने कीमत में गिरावट की वजह सीमेंट निर्माताओं की तरफ से वॉल्यूम पर जोर देना है और कंपनियां बाजार हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर ऐसा कर रही हैं।

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, डीलरों, सेल्स एग्जिक्यूटिव व कैरी ऐंड फॉरवाडिंग एजेंटों से पता चला कि सीमेंट उद्योग जून में सीमेंट कीमतें रिकवर करने में नाकाम रही जबकि मई में सुस्ती थी।

नोट में कहा गया है, स्थिर कीमतों के साथ कुछ बाजारों को छोड़ दें तो ज्यादातर हिस्से में कीमत पर दबाव दिखा। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर औसत खुदरा कीमतें मासिक आधार पर 5 रुपये प्रति कट्टा घटकर 351 रुपये रह गई, जो 2.5 साल पहले के स्तर पर पहुंच गई।

क्षेत्र के लिहाज से दक्षिण भारत में कीमतों की चाल सबसे ज्यादा 12 रुपये प्रति कट्टा रही। जून में तमिलनाडु में कीमतें 20 रुपये प्रति कट्टा घट गई, वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में 10-10 रुपये प्रति कट्टा कम हुई। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा कीमतें निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो चार साल पहले देखी गई थी। जुलाई में पेन्ना सीमेंट की तरफ से होने वाली वॉल्यूम में बढ़ोतरी से कीमतों में बढ़ोतरी में देरी की आशंका है। *बीएस*

JKCement

जे.के. सीमेंट लिमिटेड ('कम्पनी')

पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र.
टेलीफोनः +91 512 2371478- 85 फैक्सः +91 512 2399854
ईमेलः shambhu.singh@jkcement.com वेबसाइटः www.jkcement.com

कम्पनी के सदस्यों के लिए तीसवीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तकबंदी, लाभांश हेतु रिकॉर्ड डेट व ई-वोटिंग की सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों सपठित सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 तथा 09/2023 क्रमशः दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 तथा 25 सितम्बर 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("MCA Circulars") तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (सूचीबद्ध विनियम) पर जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की तीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") जो कि **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11:00** बजे वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट (संलग्नक सहित) प्रबन्धन की चर्चाएं तथा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 27 जून, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं, जिनके नाम कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज हैं। इस प्रकार सदस्य वीडियो कानफ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से ही सम्मलित हो सकते है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और **NSDL** की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित होने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 103 के तहत, कोरम की गणना हेतु की जाएगी।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **shambhu.singh@jkcement.com** पर ई-मेल प्रार्थना भेज सकते है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहाँ नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकते है ("रिमोट ई-वोटिंग") कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **(NSDL)** की सेवाएं ली है। मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश जिसमें शामिल है डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से (Remotely) मतदान करना और सदस्य जिन्होनें अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के जरिये केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हैं। वे सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यह जानकारी एजीएम के नोटिस में वर्णित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधाः **मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 10:00 बजे** से शुरू होगी और **गुरूवार, 18 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे** बंद हो जाएगी।

पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिगं माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **('NSDL')** द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग कर सकेंगे।

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे।

पुस्तक बंदी सूचना तथा लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:

ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सपठित कम्पनीज ('मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ') नियम 2014 तथा सेबी **('LODR')** विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की **Share Transfer Books** के बंद रहने का समय बुधवार दिनांक 10 जुलाई, 2024 से शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) रहेगा।

बी. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई, 2024 को "रिकार्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

सी. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को जिनके नाम रिकार्ड तिथि को कंपनी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि जो कि, 9 जुलाई, 2024 है को लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गए है उन्हें एजीएम के सम्पन्न होने से एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

डी. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कंपनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। सेबी सर्कुलर के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण कंपनी/ RTA में अभिलिखित नहीं कराया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (Mandate) दर्ज करने का तरीका :

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करेंः

ए. यदि शेयर डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपाजीटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फॉर्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो, फॉर्म संख्या ISR-1के अनुसार, अधोलिखित दस्तावेज कंपनी के ई-मेल-पते shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल करके या जमा करके, पंजीकृत/अपडेट करें-

(1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कापी जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता नंबर, बैंक और शाखा का नाम और पता, आइएफएससी कोड, एमआईसीआर विवरण) हों

(2) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

(3) एक कैसिंल चेक।

यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से आर.बी.आई द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिविडेन्ड ट्रांसफर नहीं कर पाती है तो वह सेबी सर्कुलर के अनुसार सदस्यों को डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजेगी।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने के तरीकाः

ए. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होनें कंपनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे shambhu.singh@jkcement.com पर फोलियो नंबर ई-मेल पते के विवरण के साथ कंपनी /फार्म संख्या ISR-1के अनुसार RTA को लिखकर पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमेट खाते रखते है, में पंजीकृत/ अपडेट करें।

ई-मेल आईडी अपडेट/पंजीकृत अथवा लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट दर्ज कराने की अधिक जानकारी के लिए सदस्य सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 (यथा संसोधित) SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 16 मार्च, 2023 देख सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई-वोटिंग करने के लिए NSDLवेबसाइट: https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से "एफएक्यू" सेक्शन/ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न/शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करेंः
श्री शम्भू सिंह, उपाध्यक्ष तथा कम्पनी सचिव
जे. के. सीमेंट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर- 208 001, उत्तर प्रदेश
फोन नं.: +91 512 2371478-85, फैक्स: +91 512 2399854
ई-मेल: shambhu.singh@jkcement.com, वेब: www.jkcement.com

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिंक: https://www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले लागिन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वालें चरणों को एजीएम की नोटिस के नोट न. 29 में समझाया गया है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

लाभांश पर कर:

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार शेयरहोल्डरों की लाभांश आय कर योग्य होती है। कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान किये गये लाभांश पर लागू दर से कर (TDS) लिया जायेगा। सदस्यों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा पूर्व में भेजे गए महत्वपूर्ण संदेशों को देखें अथवा कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर विजिट करें।

निदेशक मण्डल के आदेश से
(शम्भू सिंह)
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप न. एफसीएस 5836

स्थानः कानपुर
दिनांकः 27.06.2024